for setting up pre-loom and post-loom processing facilities;

(vi) Special rebate at the rate of 20 per cent on sale of handloom products;

(vii) Janata cloth Scheme;

(viii) Thrift Cloth Scheme;

(ix) Workshad-cum-Housing Scheme;

(x) Reservation of 22 items for exclusive production in the handloom sector through the Handloom (Reservation of Articles for Production) Act, 1985.

(b) Financial assistance under various schemes is provide to all States, including Uttar Pradesh, on the basis of the proposals received from concerned States Governments every year. It has been reported that about 1,10.000 handloom weavers have been benefitted under various schemes implemented in U.P., Handlooms Corporation and U.P. Industrial Cooperative Association.

Credit to Guyana for setting up export oriented projects

3499. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India gave credit of Rs. 18 crores to Guyana for the setting up of export-oriented projects in that country; and

(b) if so, what are the details of the terms and conditions?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Government of India has agreedj in principle, during the first meeting of the Indo-Guyanese Joint Commission held in New Delhi from 16 to 18 January, 1989, to make available to the Government of Guyana a line of credit upto an amount of Rs. 100 million. Ordinarily the terms of credit extended by Government of India include a repayment period of upto 15 years, and a rate of interest of 5 per cent annum.

विभिन्न राज्यों को ऋण दिये जाने में समानता

3500. श्री अजित जोगी :
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि राज्यों को ऋण दिये जाने के मामले में विभिन्न राज्यों के बीच भारी असमानता है।

(ख) यदि हां, तो सरकार इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम उठाये जाने का विचार है कि विभिन्न राज्यों को दिये गये ऋण उनकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुपात में हों, और

(घ) क्या वाणिज्यिक बैंक अथवा सरकार पिछड़े राज्यों को, जैसे मध्य प्रदेश, जिसे अपने समकक्ष अन्य राज्यों की तुलना में 10 गुना कम ऋण उपलब्ध किया गया है, ऐसे ऋणों का प्रवाह बढ़ाने के लिए कोई नये कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता सकल ऋणों तथा सकल अनुदानों के रूप में दी जाती है। केन्द्रीय सहायता का आवंटन राजकीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित एक फार्मूले के आधार पर किया जाता है जिसके अन्तर्गत विशेष श्रेणी के राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकमुश्त राशि अलग से रख दी जाती है तथा केन्द्रीय सहायता की शेष राशि बाकी राज्यों के बीच नीचे लिखे तरीके से बांटी जाती है :—

(i) जनसंख्या के आधार पर 60 प्रतिशत